

॥ ३
२२

वकीलवादी उक्त वे प्राप्त अन्तर्गत
आदेश २३ नियम १ जारी बखत विद्वा
करने बाद पत्र पेश किया। जिस
पर पत्रावली को तलब किया गया।
वकीलवादी उक्त मुकदमे को चलाना
पहले चाहता है व भविष्य में आवश्यकता
होने पर दूसरा बाद व कार्यवाही करने
का आदेश सुरक्षित रखने हुए
बाद पत्र विद्वा करने चाहता है। पत्रावली
का बवलौकन किया गया। उक्त
प्रकरण को भविष्य में दूसरा बाद
व कार्यवाही करने का आदेश
सुरक्षित रखने हुए बाद विद्वा
करने की अनुमति दी जाती है। वादी
का बाद इसी अनुसार खारेज
किया जाता है। पत्रावली फेसल
शुमार होकर जम्मा से कम होकर
भाडा प्रविष्ट हो।

उप खण्ड अधिकारी
दोसा (राज)

